न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज, आर.ए.एस.

GCMS नंबर–00077/2020 दायर दिनांक 03.07.2024
प्रकरण संख्या 54/2020 रेवेन्यु निर्णय दिनांक 17.10.2025

1. धूला पिता शंकर जोगी उम्र 75 वर्ष निवासी विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.

वादी

बनाम

1. मणिलाल पिता शंकर जोगी उम्र वयस्क निवासी विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज
2. श्रीमति मणि पत्नि मणिललाल जोगी उम्र वयस्क निवासी विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूँगरपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी किये जाने अन्तर्गत धारा 188, राज.टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः–

श्री विनोद शर्मा अधिवक्ता, – वादी की ओर से
एक पक्षीय कार्यवाही –प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 17.10.2025

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे, काश्त एवं खाते कि कृषि भूमि खतौनी संख्या पूराना 2 खतौनी संख्या नया 358 खसरा नंबर 2317 रकबा 1 बीघा भूमि मौजा विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज. में स्थित है। वादी कि कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है फिर भी दिनांक 25/02/2020 को वादी अपनी उक्त आराजियात में बाढ लगा रहे थे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जे.सी.पी. मशीन के साथ अनाधिकृत रूप से जबरन वादी कि कृषि भूमि में प्रवेश कर कहने लगे कि यह जमीन हमारी है। इस पर हम जबरन कब्जा करेगे कहते हुये जे.सी.पी. मशीन से थूअर कि बाड तोड दी एवं उक्त खसरे में लगी जौ कि फसल नष्ट कर खेत कि पाली तोड दी। मना करने पर जान से मारने दौडे एवं कहने लगे कि हम मकान

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

बनायेगे वादीगण को खेती करने से पशु बॉधने से रोकने लगे तथा एलानिया धमकी दे गये है कि अब तुमको इसमें प्रवेश नही करने देगे एवं बची फसल काट कर ले जायेगे व पशु चरा देगे तथा तुम को चैन से नही रहने देगे पशुओ का मकान बनाया या खलिहान बनाकर फसल डाली तो उसमें आग लगा देगे प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की कृषि भूमि में प्रवेश कर तरह तरह से परेशान कर रहे एवं धमकिया दे रहे है। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खाते व कि आराजियात जो वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित है में प्रवेश नही करे किसी प्रकार का निर्माण करने हेतु किसी प्रकार का रो मटेरियल नही डाले न ही कोई निर्माण कार्य करे तथा वादीगण को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाघा उत्पन्न नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाकर जवाब तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। ग्राम विकास नगर पटवार हल्का विकास नगर तहसील डूंगरपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2317 रकबा 1 बीघा का अवस्थित होना स्वीकार हे किन्तु यह आराजी भूमी वादी अंकेले के अनन्य कब्जे काश्त की नही होकर यह संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक व हिस्से की भी होकर इसके आधे भाग पर पुराना व निरन्तर कब्जा आज तक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पति पत्नी है जिससे खसरा नम्बर 2317 के आधे भाग पर चला आ रहा है। वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कतई अधिकारी नही है। दिनांक 02.07.20002 के पंचो के फैसले/समझौते के आधार पर भी प्रतिवादी का संयुक्त कब्जा होकर प्रतिवादी के साथ काबिज होकर प्रतिवादी का एडवर्स पजेशन परिपक्व हो चुका है। प्रतिवाद– द्वारा प्रतिरोध किये जाने अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतिवादी विरूद्ध वादी राजस्व ग्राम विकासनगर की कृषि भूमि आराजी संख्या 2317 रकबा01 बीघा के आधे हिस्से अर्थात 10 बिस्वा भूमि की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया। राजस्व ग्राम विकास नगर तहसील एवं जिला डूंगरपुर में कृषि भूमि आराजी नम्बर 2317 नामी वाडा रकबा 01 बीघा किस्म सुखी तृतीय जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपसी परिवारीक सहमति एवं समझौते के अनुसार कय दिनांक से आज तक स्वयं एवं जरिये अपनी पत्नी प्रतिवादिया संख्या 2 के शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व ग्राम विकास नगर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डूंगरपुर की आराजी 2317 नामी वाडा रकबा 1 बीघा किस्म सुखी तृतीय में प्रतिवादी पत्र के अनुसार वादी संख्या 1 धुला के साथ प्रतिवादी मणीलाल को भी आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जकार तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में श्री धुला के साथ प्रतिवादी संख्या 1 मणीलाल का नाम सह खातेदारी में सहखातेदार का घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदार के रूप में अंकित किया जावे। तथा तद्नुसार सम्पति का विभाजन रिकॉर्ड में भी किया जावे। क्योंकि भाई दिनांक 02.07.2002 से अलग हिस्से पर काबिज है जिससे प्रतिवादी का भी कायम हाने की भी डिक्री पारीत करना फरमावे।

प्रस्तुत वाद का प्रतिवाद प्राप्त होने पर तनकी कायम की गई। तनकी कायम की गई वादी धूला स्वयं ने पी.डब्ल्यु–1 ने अपने बयान लेख बद्व कराते हुए जमाबंदी प्रदर्श–1, विकय–पत्र प्रदर्श–2 को प्रदर्शित करवाया जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादीगण को कई मौके दिये गये लेकिन प्रतिवादीगण कि और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर वादी की और से बहस सुनी गई वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी के स्वामित्व, कब्जे एवं खातेदारी भूमि खतौनी संख्या नया 358 खसरा नंबर 2317 रकबा 01 बीघा भूमि मौजा विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज. स्थित है। इस आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 जबरन अतिकमण कर वादी के उपयोग उपभोग में बाधा पहूचा रहे है। एवं अतिकमण कर निर्माण कार्य करने कि धमकिया दे रहे है। वादी के वाद की पुष्टि गवाह एवं दस्तावेज जमाबंदी एवं विकय पत्र से स्पष्ट है वादी खातेदार होकर उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की है। जिससे वाद को स्वीकार फरमाया जाकर धारा 209 में प्रदत्त अधिकारो के तहत अतिकमण को विध्वंस कराते हुऐ प्रतितवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं विकय पत्र के अनुसार वाद वर्णित भूमि खतौनी संख्या नया 358 खसरा नंबर 2317 रकबा 01 बीघा भूमि मौजा विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज.में होना प्रमाणित है तथा गवाह के बयान अनुसार वादी वाद वर्णित भूमि के खातेदार होने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा वादी को उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न करने अतिकमण कर निर्माण कार्य करने कि धमकिया देने का कृत्य विधि सम्मत नही होकर स्थाई निषेधाज्ञा के भागी बनते है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

आदेश

वाद वादी खतौनी संख्या नया 358 खसरा नंबर 2317 रकबा 1 बीघा मौजा विकासनगर तहसील एवं जिला डूँगरपुर राज. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 को वादग्रस्त आराजी भूमि बाबत आदेश दिया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही उक्त आराजियात पर कोई निर्माण नही करे एवं ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादी को किसी प्रकार का नुकसान पहूचे मुताबिक आदेश डिक्री पर्चा बनाया जावे।

आज दिनांक 17.10.2025 को निर्णय लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर